न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:–रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,
नम्बर मुकदमा – 346/2023

निर्णय दिनांक:– 01.05.2024

1 परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 गुरकीरत सिह पुत्र गुरमीत सिह आयु लगभग 9 वर्ष ना.ज.कु.बली माता परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तरणप्रीत कौर पुत्री गुरमीत सिह आयु लगभग 11 वर्ष ना.ज.कु.बली माता परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 राजवीर कौर पुत्री लखवीर सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 रजनदीप कौर पुत्री लखवीर सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 3
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।प्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह के नाम चक 15 पी.टी.पी. खाता स. 75/64 खाता लखवीर सिह ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 23/8 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 के वारिसान गुरमीत सिह पुत्र लखवीर सिह व प्रति स. 2 व 3 ही है।गुरमीत सिह पुत्र लखवीर सिह फौत हो गया है। जिसके वारिसान वादीगण ही है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी वादीगण एवं प्रति स. 2 व 3 की जद्दी जायदाद है।जिसमें गुरमीत सिह पुत्र लखवीर सिह तथा प्रति स. 2 व 3 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है ।गुरमीत सिह के फौत होने के बाद उसके हिस्सा की आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के हकदार है।लेकिन प्रति स. 2 व 3 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादीगण व प्रति स. 1 के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त आराजी के [illegible] हक व स. 1 ब.हि.ब. के हकदार है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 [illegible] हिस्सा नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्रा[illegible] [illegible]कारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आ[illegible] नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण

Signature Not V
Digitally signed by
Meena
Date: 2024.05.21 1
Reason: SelfAtteste

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतःप्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह के नाम चक 15 पी.टी.पी. खाता स. 75/64 खाता लखवीर सिह ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 23/8 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादीगण व प्रति स 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में ब.हि.ब. के हिसाब से अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह का हिस्सा कम किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 1 व 3 की ओर से श्री गुरमीत सिंह कलसी ने वकालतनामा मय सहमति का जवाब दावा पेश किया तथा प्रति स. 2 की ओर से श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. ने वकालतनामा पेश कर सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया स. 1 परमजीत कौर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह के नाम चक 15 पी. टी.पी. खाता स. 75/64 खाता लखवीर सिह ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 23/8 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह का नाम कलमजन किया जावे।प्रतिस. 1 ता 3 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। अभिभाषक प्रतिवादी स.1 ता 3 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 15 पी.टी.पी. खाता स. 75/64 खाता लखवीर सिह ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 23/8 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 व 2 है।वादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रति स. 1 लखवीर सिंह पुत्र नक्षत्र सिह के नाम चक 15 पी.टी.पी. खाता स. 75/64 खाता लखवीर सिह ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 23/8 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादीगण व प्रति स 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में ब. हि.ब. के हिसाब से अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह का हिस्सा कम किया जावे। बाबत........X........खर्चा मुकदमें के निज.......X........ मुब्लिक........X........ मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक............ को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Meena
Date: 2024.05.21
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 गुरकीरत सिह पुत्र गुरमीत सिह आयु लगभग 9 वर्ष ना.ज.कु.बली माता परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 तरणप्रीत कौर पुत्री गुरमीत सिह आयु लगभग 11 वर्ष ना.ज.कु.बली माता परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 राजवीर कौर पुत्री लखवीर सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 रजनदीप कौर पुत्री लखवीर सिह जाति जटसिख सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 3
श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 2

मु. स . 346/2023 . दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्दू एड. वादीगण व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 व 3 तथा श्री चरणजीत सिह सिद्दू एड. प्रति स. 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है किप्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह के नाम चक 15 पी.टी.पी. खाता स. 75/64 खाता लखवीर सिह ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 23/8 खाता अमर सिह वगैरा ज.स. 2073–76 के वादीगण व प्रति स. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादीगण व प्रति स 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में ब.हि.ब. के हिसाब से अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 लखवीर सिह पुत्र नक्षत्र सिह का हिस्सा कम किया जावे।
निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 01.05.2024 को जारी की गई।
नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

Signature Not Ve...
Digitally signed by Ra... Meena
Date: 2024.05.21 16:0...
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया